छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

क्रमांक एफ 2–1/2005/1/6 रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2006

प्रति
सचिव,
छत्तीसगढ सूचना आयोग,
निर्मल छाया भवन,
मीरादातार रोड
शंकर नगर, रायपुर

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत होने वाले अर्थदण्ड एवं क्षति पूर्ति राशि जमा करने हेतु मद का निर्धारण ।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक रा.सू.आ./06/3309 दिनॉक 26.8.2006

कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत होने वाले अर्थदण्ड एवं क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने हेतु वित्त विभाग की सहमति से निम्नानुसार राजस्व प्राप्ति मद स्थापित किया जाता है :–

"मुख्य शीर्ष –0070 उप मुख्य शीर्ष–60 लघु शीर्ष– 800–0228" मद के अंतर्गत "अर्थदण्ड की राशि जमा करने बाबत" नाम देकर जमा किया जा सकता है । अर्थदण्ड/क्षतिपूर्ति राशि जमा न करने की स्थिति में वसूली की प्रकिया निर्धारण हेतु नियम बनाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

2. इस हेतु वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 838/सी 2140/बजट–5/वित्त/ चार/2005 दिनॉक 30.10.2006 द्वारा वित्त विभाग की सहमति ली गई है ।

(व्ही 0के0 राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग